राजस्थान - सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक/प्रशि/म०स्वा०कार्य/010/13-45 दिनांक 18/2/10

मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी,

....

विषय: महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2009-10 में प्रवेश हेतु दिनांक 08.03.2010 को तृतीय काउन्सलिंग बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय के पत्र क्रमांक /प्रशि/म०स्वाकार्य/प-28/पार्ट-II/09/617 दिनांक 30.11.09 एवं पत्रांक 949 दिनांक 15.1.2010 के क्रम में लेख है कि द्वितीय काउन्सलिंग दिनांक 10.2.2010 के बाद रिक्त रही शेष सीटों पर प्रवेश हेतु तृतीय काउन्सलिंग दिनांक 08.03.2010 को निर्धारित की गई है।

अत: लेख है कि आप आरक्षण की श्रेणीवार आपके यहाँ प्रथम/द्वितीय काउन्सलिंग के बाद रिक्त रही सीटों की संख्या के तीन गुणा अभ्यार्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार तृतीय काउन्सलिंग में आमन्त्रित करें । जिसके लिये कम से कम 10 दिवस पूर्व रजिस्टर्ड पत्र द्वारा कॉल लैटर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । तथा - तृतीय काउन्सलिंग हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों का न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत {कट ऑफ मार्क्स} का प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशन भी कराया जावे । काउन्सलिंग के समय ऐसे अभ्यर्थी उपस्थित होवें जो प्रथम/द्वितीय काउन्सलिंग में अनुपस्थित रहे हों तो उसे भी वरियता के अनुसार काउन्सलिंग में अवसर दिया जावे ।

इस निदेशालय की विज्ञप्ति एवं उपरोक्त निर्देशों में उल्लेखित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी, जिनकी पालना सुनिश्चित करावें । तृतीय काउन्सलिंग के विवरण एवं चयन आदेशों की प्रतियाँ दिनांक 09.03.2010 को विशेष पत्र वाहक के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

18/02

[बी. के. दोसी]

अतिरिक्त निदेशक {प्रशिक्षण}

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज०

जयपुर ।